भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 241

सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

बड़े पैमाने पर छंटनी

241. कुमारी राम्या हरिदास:
श्रीमती पूनम महाजन:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ महीनों में प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्र में छंटनी के संबंध में कोई आंकडे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर छंटनी के प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजन और कामबंदी सहित छंटनी एक नियमित घटना है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कामबंदी और छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को कामबंदी या छंटनी करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई छंटनी और कामबंदी आईडी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई हो तो उसे अवैध माना जाता है। आईडी अधिनियम में कामबंदी और छंटनी किए गए कर्मकारों को मुआवजे के अधिकार का भी उपबंध है और इसमें छंटनी किए गए कर्मकारों को पुनः रोजगार देने का भी उपबंध है। अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के आधार पर, केन्द्र और राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर्मकारों की समस्याओं का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करती हैं। उन प्रतिष्ठानों में, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें कामबंदी और छंटनी से संबंधित मामले और उनकी रोकथाम शामिल है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और संबंधित क्षेत्रों के मामलों में क्षेत्राधिकार, संबंधित राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह कार्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सौंपा गया है और वे अपने आंकड़ों/सूचना का रख-रखाव करते हैं।

*****